

कार्यालय, जनपद पंचायत अकलतरा जिला जॉजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

Phone & Fax No -07817252165

E-mail ID- jp-akaltara.cg@nic.in

//ज्ञापन//

क. / 45 / जन. पंचा. / सूअ / 2017-18  
प्रति,

अकलतरा दिनांक 03.01.2018

✓ कलेक्टर महोदय  
जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) के अनुसार 17 श्रेणियों को बेबसाइट में दर्ज कराने बाबत।

सन्दर्भ :- 01 आपका का पत्र क्रमांक / 20516 / सूअ / 2017 जांजगीर दिनांक 27.12.2017

02 टी.एल. क्रमांक 3281 दिनांक 18.09.2017

-----000-----

सन्दर्भित विषयान्तर्गत लेख है, कि मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 7-6/20052/1-13 नया रायपुर दिनांक 08.09.2017 जो कि कार्यालयीन टी.एल.क्रमांक 3281 दिनांक 19.09.2017 में दर्ज है। जिसके अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) के अनुसार 17 बिन्दुओं को बेबसाइट में जिला कार्यालय के एन.आई.सी. (जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र दर्ज कराने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) के अनुसार 17 बिन्दुओं की जानकारी संलग्न कर आपकी ओर सादर संप्रेषित।

(अन्वेष घृतलहरे )

डिप्टी कलेक्टर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जनपद पंचायत अकलतरा

सूचना का अधिकार, अधिनियम 200की धारा 04 (1)(ख) के तहत 17 बिन्दुओं पर जानकारी  
जनपद पंचायत अकलतरा

1. अपने संगठन की विशिष्टियों, कृत्य और कर्तव्य :- जनपद पंचायत अकलतरा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्राम/ग्राम पंचायतों के संपूर्ण सर्वांगीण विकास हेतु पंचायतीराज व्यवस्था के सुचारु क्रियान्वयन एवं अधोसंरचना के निर्माण हेतु पंचायतो को रुपये 20 लाख तक के निर्माण कार्य हेतु ऐत्रजेंसी ग्राम पंचायतो को अधिकृत किया गया है।
2. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य :-
  - (क) ग्राम सभा/ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तावित कार्य योजनाओं का जिला कार्यालय से स्वीकृति पश्चात् समय सीमा में क्रियान्वयन।
  - (ख) समय सीमा में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवा प्रदाय करना।
  - (ग) ग्राम स्तर से प्रस्तावित पेंशन प्रकरणों की स्वीकृति पश्चात् डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे पेंशनधारियों के खात में पेंशन की राशि समय सीमा में प्रदाय करना।
  - (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्राम /ग्राम पंचायतो में स्वीकृत कार्यों का समय सीमा में क्रियान्वयन।
  - (ङ) प्रधान मंत्री आवाय योजना (ग्रामीण) अंतर्गत ग्राम सभा/ग्राम पंचायतो द्वारा प्रस्तावित/चयनित हितग्राहियों का जिला कार्यालय द्वारा आवास स्वीकृति पश्चात् एफ. टी.ओ. के माध्यम से प्रथम किश्त की राशि जारी कर गुणवत्ता पूर्ण निर्माणाधीन आवासो का जियो टैग के माध्यम से निरीक्षण कर विभिन्न स्तर पर आवास निर्माण की राशि किश्तों में जारी करना
  - (च) ग्राम सभा/ग्राम पंचायतो द्वारा 14 वें वित्त/मूलभूत प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किये गये कार्यों के अनुमोदन पश्चात् क्रियान्वयन प्रस्तावित कार्य योजनाओं का जिला कार्यालय को स्वीकृति पश्चात् समय सीमा में क्रियान्वयन।
  - (छ) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित महिला स्व सहायता समूहो को लघु उद्योगों की स्थापना हेतु बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना।
  - (ज) अटल खेतीहर/आम आदमी/प्रधानमंत्री जीवन ज्योति/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत दावा प्रकरणो का प्रेषण।
  - (झ) सूचना के अधिकार के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में सुनवाई।
  - (ञ) सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 की सूची अनुसार प्रत्येक पात्र परिवारो को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाना।
3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तर दायित्व के माध्यम सम्मिति है :-
  - (क) ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित/चयनित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हितग्राहियों को राशि जारी कर निर्माणाधीन आवासो का निरीक्षण कर गुणवत्ता पूर्ण आवासो के निर्माण में तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर समय सीमा में आवासो को पूर्ण कराना।
  - (ख) राष्ट्रीय आजीविका मिशन अंतर्गत अनुदान/ऋण प्राप्त विभिन्न महिला स्व सहायता समूहो/ईकाइयो का सतत् निरीक्षण।
  - (ग) पेंशन प्रकरणो का निराकाण एवं पेंशन जारी किया जाना।
  - (घ) ग्राम पंचायतो में स्वीकृत कार्यों के निर्माण कार्य हेतु एजेंसी नियुक्त किया जाकर समय सीमा में क्रियान्वयन।
  - (ङ) लोक सेवा गारंटी अधिनियम का पालन।

- (च) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में सूनवाई।
4. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान :-  
शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं नियम निर्देश के अनुसार समय सीमा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ कृत्यों/शासकीय कार्यों का निर्वहन करना।
5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणधीन धारित कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गए लियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख :-
- (1) पंचायती राज अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायतों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजना का कार्यान्वयन।
  - (2) लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जारी नियम एवं निर्देश।
  - (3) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में सूनवाई।
  - (4) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जारी नियम एवं निर्देश का पालन।
6. ऐसे दस्तावेज के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण में, प्रवर्गों का विवरण :-  
उपरोक्त सभी दस्तावेज, नियम एवं निर्देश संबंधित कक्षा के प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी नियंत्रण में सुरक्षित एवं धारित है।
7. किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है। :-  
नीतिगत विषय इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
8. ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों व अन्य निकायों के जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है। और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तथा जनता की पहुंच होगी विवरण :-  
ग्राम/ग्राम पंचायत/जनपद स्तर पर आयोजित सभी प्रकार की बैठकों की कार्यवाही विवरण सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मागे जाने पर उपलब्ध है।
9. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका :-  
अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों की निर्देशिका निम्नानुसार है :-

क्र.	अधिकारी/कर्मचारियों का नाम	पदनाम	श्रेणी	आबंटित कार्य	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	श्री बी.डी. टण्डन	विकास विस्तार अधिकारी	तृतीय श्रेणी	NRLM, PMMU, PMJBY, PMSBY " शाखा	
2	श्री बी.के चौबे	विकास विस्तार अधिकारी	—, —	—, —	
3	श्री एफ.आर. चतुर्गोष्ठी,	समाज शिक्षा संगठक	—, —	सामाजिक सहायता योजना	
4	श्री लक्ष्मीप्रसाद राठौर	कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा	—, —	मनरेगा योजना	
5	श्री अशोक राठौर,	लेखापाल	—, —	स्थापना शाखा	
6	श्री शैल कुमार सेन	सहा. ग्रेड 2	—, —	निर्माण शाखा	
7	श्री पुरुषोत्तम पटेल,	सहा. ग्रेड 03	—, —	निर्माण शाखा	
8	श्री नवरत्न सिंह गबेल,	सहा. ग्रेड 03	—, —	पेंशन शाखा	
9	श्रीमती लक्ष्मी सिंह,	सहा. ग्रेड 03	—, —	जनसंपर्क/आवक जावक विशेष घटक	
10	श्री गिरेन्द्र तिवारी	सहा. आत. ल. परी. एवं करा. अधि.	—, —	राजस्व वसूली	

10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो :-

कार्यालय जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) में पदस्थ कर्मचारियों का मासिक वेतन निम्नानुसार है। :-

क.	अधिकारी / कर्मचारियों का नाम	पदनाम	श्रेणी	परिलब्धियां	रिमाक
1	2	3	4	5	6
1	श्री बी.डी. टण्डन	विकास विस्तार अधिकारी	तृतीय श्रेणी	55547	
2	श्री बी.के. चौबे	विकास विस्तार अधिकारी	—, —	55509	
3	श्री एफ.आर. चतुर्गोष्ठी,	पंचा.एवं समाज शिक्षा संगठक	—, —	67280	
4	श्री देवेन्द्र कुमार ध्रुव	सहा.वि. विस्तार अधिकारी	—, —	25551	
5	श्री संतकुमार उपाध्याय	सहा.वि. विस्तार अधिकारी	—, —	27551	
6	श्रीमति प्रीति शुक्ला	उपअभियंता	—, —	49378	
7	श्री के.के. पैकरा	उपअभियंता	—, —	54253	
8	श्री रविशंकर सोनी	उपअभियंता	—, —	49378	
9	श्री सहस्र राम रात्रे	सह.आत. लेखा परी. एवं करा. अधि.	—, —	60873	
10	श्री गिरेन्द्र तिवारी	सह.आत. लेखा परी. एवं करा. अधि.	—, —	62656	
11	श्री हुलेश्वर द्विवेदी	सह.आत. लेखा परी. एवं करा. अधि.	—, —	57350	
12	श्री अश्वनी कुमार सिदार	सह.आत. लेखा परी. एवं करा. अधि.	—, —	52336	
13	श्री तिलकराम शुक्ला	सह.आत. लेखा परी. एवं करा. अधि.	—, —	52348	
14	श्री सुनीलराव	सह.आत. लेखा परी. एवं करा. अधि.	—, —	46578	
15	श्री हुनुक कुजूर,	लेखापाल	—, —	52916	
16	श्री ए.के. साव	सहा ग्रेड 2	—, —	45399	
17	श्री अशोक राठौर,	लेखापाल	—, —	46054	
18	श्री पुरुषोत्तम पटेल,	सहा.ग्रे. 03	—, —	29933	
19	श्री शंल कुमार सेन	सहा.ग्रे. 03	—, —	44035	
20	श्री नवरतन सिंह गबेल,	सहा.ग्रे. 03	—, —	30888	
21	श्रीमती लक्ष्मी सिंह,	सहा.ग्रे. 03	—, —	33823	
22	श्री विजय कुमार देवांगन	भृत्य	—, —	29415	
23	श्री गणेश कुमार खाण्डे	कम्प्यूटर आप. संविदा (आई.ए.वाय)	—, —	16445	संविदा
24	श्री राजकुमार साहू	कम्प्यूटर आप. (कलेक्टर दर)	—, —	9360	कलेक्टर दर
25	श्री शत्रुहन कुमार	कम्प्यूटर आप. (कलेक्टर दर)	—, —	9360	कलेक्टर दर
26	श्री राजकुमार यादव	भृत्य (कलेक्टर दर)	—, —	7930	कलेक्टर दर
27	श्री भरत यादव	भृत्य (कलेक्टर दर)	—, —	7930	कलेक्टर दर
28	श्री मन्मूलाल यादव	चौकीदार (कलेक्टर दर)	—, —	7930	कलेक्टर दर
29	श्री लक्ष्मीप्रसाद राठौर	कार्यक्रम अधिकारी	—, —	28080	संविदा
30	श्री आसीफ अहमद खान	सहा प्रांग्रामर	—, —	24765	संविदा
31	कु. शेख तबरसूम	तकनीकी सहायक	—, —	23010	संविदा
32	श्री शशीकांत देवांगन	तकनीकी सहायक	—, —	23010	संविदा
33	कु. सोनम राठौर	तकनीकी सहायक	—, —	23010	संविदा
34	कु. सारिका सिंह	तकनीकी सहायक	—, —	23010	संविदा
35	कु. पुजा सोनी	तकनीकी सहायक	—, —	23010	संविदा
36	कु. पूर्णिमा पाण्डेय	तकनीकी सहायक	—, —	23010	संविदा
37	श्री अरुण रात्रे	तकनीकी सहायक	—, —	23010	संविदा
38	श्रीमति सुलोचना कुरे	तकनीकी सहायक	—, —	23010	संविदा
39	श्री रोहणी कांत सोनी	लेखापाल	—, —	16445	संविदा
40	श्रीमति इन्दू विश्वकर्मा	लेखापाल	—, —	16445	संविदा

41	श्री प्रकाश कुमार साहू	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	—, —, —	16445	संविदा
42	श्री हेमंत कुमार यादव	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	—, —, —	16445	संविदा
43	श्री रथलाल आदित्य	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	—, —, —	16445	संविदा
44	श्री नंद कुमार यादव	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	—, —, —	16445	संविदा
45	श्री शंकर लाल कोशिक	सहायक वर्ग 03	—, —, —	12675	संविदा
46	श्री नंद कुमार करयप	सहायक वर्ग 03	—, —, —	12675	संविदा
47	श्रीमति मुक्ति दुबे	सहायक वर्ग 03	—, —, —	12675	संविदा
48	सुश्री वैशाली शर्मा	सहायक वर्ग 03	—, —, —	12675	संविदा
49	श्री लक्ष्मीप्रसाद चौहान	मृत्यु	—, —, —	10140	संविदा

11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपद्रविद करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट :-


क्र.	योजना/ मद का नाम	आबंटित राशि	व्यय राशि	बचत राशि	रिमाक
1	2	3	4	5	6
1	जिला खनिज संस्थान माप योजना	5118787	3936690	1182097	
2	जिला पंचायत विकास निधि	616862	616862	0	
3	गौण खनिज	47342029	43951000	3391029	
4	मुलभूत योजना	2174528	1510681	663847	
5	छ.ग.रा.ग्रा.क्षे.विकास योजना	1490000	849213	640778	
6	मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना	4848081	4595766	252315	
7	विधायक मद	4006250	2462971	1543279	
8	शिक्षा मद	1427589	1050069	377520	
9	सांसद मद	330000	220000	110000	
10	अ.जा.विकास प्राधिकरण	540000	370000	170000	
11	14वें वित्त आयोग	48006889	26403788	21603100	
12	जनपद विकास निधि	5000000	0	5000000	
13	मनरेगा	84310000	84310000	0	

12. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन के रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा हितग्राहियों के व्योरे सम्मिलित है :-

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, दिव्यांग/बुद्धावस्था/विधवा/सामाजिक सुरक्षा/सुखद सहारा पेंशन योजना मुक्तांजली, मनरेगा अंतर्गत पंजीकृत मजदूर परिवारों, आजिविका मिशन/बिहान योजना अंतर्गत पंजीकृत कर्मकारों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारी को उपलब्ध कराया गया ऋण सामाजिक सहायता योजनान्तर्गत ट्राय सायकल वितरण एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी/सूची/विवरण जनपद पंचायत कार्यालय में संग्रहित/उपलब्ध है।

13. अपने द्वारा अनुदत्त रियासतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिओं की प्रशिक्षितिया :- कार्यालय में संघारित है।

14. किसी भी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको हो या उसके द्वारा धारित हो :-  
कार्यालय में संधारित है।
15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मितित्रलत है। :-  
विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी सभी कार्य दिवस में लोक उपयोग हेतु सुरक्षित एवं संधारित है।
16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टिया :-  
लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम निम्नानुसार है :-
1. श्री अन्वेष घृतलहरे मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी/जनसूचना अधिकारी
  2. श्री बी.डी. टण्डन विकास विस्तार अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी
17. ऐसे अन्य सूचना जो विहित की जाए :-  
इसके अतिरिक्त अन्य जानकारी जो इस कार्यालय से संबंधित है :-
1. कार्यालय का ई-मेल पता :-  
[jp-akaltara.cg@nic.in](mailto:jp-akaltara.cg@nic.in)
  2. कार्यालय का पता :-  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जनपद पंचायत अकलतरा,  
जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जनपद पंचायत अकलतरा